भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1018

26 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा अधिग्रहित भूमि

1018. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि में से व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों को हस्तांतरित भूमि के कुल क्षेत्रफल का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों को पट्टे के आधार पर भूमि का आवंटन किया गया है और यदि हां, तो उसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और कितनी अवधि के लिए भूमि पट्टे पर आवंटित की गई है;

(ग) भूमि आवंटन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) पिछले तीन सालों के दौरान आज तक भूमि का कुल क्षेत्रफल क्या है या पट्टे पर आवंटित मकानों की संख्या कितनी है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) और (ख): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि में से व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों या शैक्षणिक संस्थानों को भूमि हस्तांतरित नहीं की है। हालांकि, सेल ने शहर की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि में से व्यक्तियों, शैक्षणिक संस्थानों, पीएसयू आदि को पट्टे के आधार पर 964.705 एकड़ भूमि आवंटित की है।

विगत तीन वर्षों के दौरान, मेसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड (2.5 एकड़) को वर्ष 2019 में 33 वर्षों की अवधि के लिए टैप ऑफ प्वाइंट (टीओपी) के साथ-साथ सेक्शनल वाल्व स्टेशन के निर्माण

और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से संबद्ध) (20.17 एकड़) को वर्ष 2021 में क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु पट्टे के आधार पर भूमि का आवंटन किया गया है।

(ग): सेल द्वारा भूमि आवंटन दिनांक 21 और 25 जुलाई, 2008 को हुई 340वीं बैठक के दौरान निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है।

(घ): जी नहीं।

(ङ): विगत तीन वर्षों में बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा कोई घर/क्वार्टर पट्टे के आधार पर आवंटित नहीं किया गया है।

****